WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

NOVEMBER 2022

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- देश में ई रुपया का आगाज, रिजर्व बैंक ने पायलट परीक्षण के तहत डिजिटल मुद्रा जारी की
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की, देश में अब दिन रात मिलेंगी बैंकिंग सेवाएं
- ईपीएफओ बोर्ड ने पेंशन योजना से निकासी की अनुमति दी
- यूपी को लकड़ी आधारित उद्योग लगाने की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी का आदेश खारिज
- प्रदेश में कारोबार के लिए दोहरी लाइसेंस प्रणाली समाप्त
- निजी औद्योगिक पार्क पर 50 करोड़ की सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट
- 30 हजार करोड़ से बनेंगे आठ डाटा सेंटर पार्क
- IMF executive director gives trillion-dollar economy tips to Uttar Pradesh government
- 28 MSMEs approved for telecom PLI scheme: Govt
- श्रेणी बदलने पर भी एमएसएमई को मिलता रहेगा गैर कर लाभ
- निर्यात आधारित विकास से तरक्की करेगा उत्तर प्रदेश
- भूमिगत होंगे बिजली के तार, मेरठ समेत 14 जिलों में होगा काम, तार टूटने के हादसों पर लगेगी लगाम
- सभी करदाताओं के लिए एक सामान आईटीआर फॉर्म लाने का प्रस्ताव
- टैक्स नहीं दिया तो फिर बिक्री भी न दिखा पाएंगे
- नवंबर से अहम बदलाव- जीएसटी के लिए एचएसएन कोड जरुरी
- जनहित गारंटी में नौ विभागों की 25 ओर सेवाएं शामिल की गई
- भू-उपयोग के बदलाव की प्रक्रिया हो आसान: सीएम योगी
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (महंगाई भत्ता 01-10-2022 से 31-03-2022)
- निर्यात प्रोत्साहन के मानदंड अधिसूचित

देश में ई रुपया का आगाज, रिजर्व बैंक ने पायलट परीक्षण के तहत डिजिटल मुद्रा जारी की

देश में डिजिटल करंसी ई-रुपया का पायलट प्रोजेक्ट का सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया। पहले दिन थोक खंड में सरकारी सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट 24 लेनदेन किए गए जिनकी कीमत 2.75 अरब रुपये रही।

सभी नौ बैंक जुड़े:

रिजर्व बैंक के मुताबिक, केंद्रीय बैंक डिजिटल करंसी (सीबीडीसी) यानी ई-रुपया में पहले दिन हुए लेनदेन में सभी नौ बैंक जुड़े रहे। इस दौरान डिजिटल करंसी को तुरंत जारी करने के साथ साथ उसी समय सेटेलमेंट करने की प्रक्रिया की जांच की गई। डिजिटल करंसी का इस्तेमाल सरकारी बॉन्ड खरीदने में किया गया।

रियल टाइम में लेन-देन:

विशेषज्ञों का कहना है कि सीबीडीसी में कैश हैंडओवर करते ही इंटरबैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं रह जाएगी। इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तुलना में लेनदेन ज्यादा रियल टाइम और कम लागत में होगा। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ योगेंद्र कपूर ने बताया कि ई-रूपए से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। साथ ही देश के पेमेंट सिस्टम को और पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी।

खुदरा ग्राहकों के लिए एक महीने में शुरुआत:

आरबीआई ने यह भी कहा कि डिजिटल रुपये (खुदरा खंड) का पहला पायलट परीक्षण विशेष उपयोगकर्ता समूहों के बीच चुनिंदा स्थानों में किया जाएगा, जिसमें ग्राहक और कारोबारी शामिल होंगे। इसकी शुरुआत एक महीने के भीतर करने की योजना है। वित्त मंत्री ने बजट में किया था ऐलान इस साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करंसी लाने की योजना का ऐलान किया था।

लंबी कार्ययोजना:

रिजर्व बैंक देश में क्रिप्टोकरंसी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर आसान और सुरक्षित डिजिटल करंसी लाने की योजना पर काफी समय पहले से काम कर रहा था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कई बार क्रिप्टो को लेकर चिंता जता चुके थे। क्रिप्टो में भारत में 80 निवेशक 500 से दो हजार लगाने वाले की श्रेणी में है।

इस तरह काम करेगा:

- यह एक वाउचर है जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यानी केवल वही इसका इस्तेमाल कर सकेगा, जिसके लिए जारी किया गया है।
- यह क्यूआर या एसएमएस कोड के रूप में होगा। इसने स्कैन किया जा सकेगा। सत्यापन के लिए सत्यापन लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। इसके जरिये वाउचर से भुगतान हो जाएगा।
- इसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। यह कैशलैस और कॉन्टैक्टलेस प्रणाली है।
- इसमें बैंको की तरह निपटान की जरुरत नहीं होगी। इससे डिजिटल पेमेंट की तुलना में लेनदेन ज्यादा रियल टाइम और कम लागत में होगा।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur Centre,
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711

Regd. Office:
204, M.J. Shopping

3, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092

Email: lionramkumar@gmail.com Ph.: 91-11-22217636

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की, देश में अब दिन रात मिलेंगी बैंकिंग सेवाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) की शुरुआत की। इन यूनिट पर साल में 365 दिन 24 घंटे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक सेवा देने का काम करेगी।

हर पांच किलोमीटर पर एक बैंक शाखा:

मोदी ने कहा, हमारा लक्ष्य आम आदमी के जीवन को सशक्त और ताकतवर बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाईं और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। हमने दो काम किया, पहला-बैंकिंग सिस्टम को सुधारा और दूसरा- वित्तीय समावेशन किया। सरकार ने बैंकिग सेवाओं को दूर-सुदूर में घर-घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत के 99 फीसदी से ज्यादा गांवों में पांच किलोमीटर के अंदर कोई न कोई बैंक शाखा, बैकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र मौजूद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा संकल्प है और हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं।

आईएमएफ ने की तारीफ:

प्रधानमंत्री ने कहा, जब हमने जन-धन अकाउंट की मुहिम शुरू की तब आवाजें उठीं कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा। यहां तक की इस फील्ड के कई विशेषज्ञ इस अभियान का महत्व नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। अभी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के डिजिटल बैंकिंग मुहिम की तारीफ की है। इसका श्रेय देश के गरीबों, मजदूरों को जाता है, जिन्होंने तकनीक को अपनाया और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। मोदी ने कहा कि वित्तीय भागीदारी जब डिजिटल भागीदारी के साथ

जुड़ जाती है तो संभावनाओं का एक नया द्वार खुलता है। यूपीआई जैसा एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है।

भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा इलाज:

मोदी ने कहा कि 'जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने मिलकर भ्रष्टाचार जैसी एक बड़ी बीमारी का इलाज किया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीम की ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। हाल में ही आईएमएफ ने इसे चमत्कार बताया है। आज फिनटेक भारत की नीतियों, प्रयासों के केंद्र में है और देश को नई दिशा दे रहा है।

दुनिया के मुकाबले बेहतर:

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में हर एक लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से भी ज्यादा है। हम सामान्य मानवी के जीवन स्तर को बदलने का संकल्प लेकर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा संकल्प व्यवस्थाओं में सुधार और पारदिर्शता लाने का है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में बैंकिंग सेवाएं पहले से कहीं ज्यादा आसान होंगी। इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। गांव और छोटे शहर में जब कोई डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सेवाएं लेगा तो उसके लिए पैसे भेजन से लेकर लोन लेने तक सबकुछ आसान और ऑनलाइन हो जाएगा।

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS

Warehouses Unit's

Office:

6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meerut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

Works:

Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

यह सुविधाएं मिलेंगी:

- बचत खाता, सावधि जमा समेत कई तरह के बैंक खाते खोल सकेंगे।
- खाते की शेष राशि जांच सकेंगे, ग्राहकों को डिजिटल किट मिलेगी।
- मशीन से नकदी जमा या निकासी।
- कही भी रकम भेजना आसान होगा।
- पासबुक खुद ही प्रिंट कर पाएंगे।
- निवेश करने के विकल्प मिल जाएंगे।
- कर्ज का लेन-देन किया जा सकेगा।
- चेक के लिए भुगतान रोकने के निर्देश दे सकेंगे।
- क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे।
- टैक्स और बिल का भुगतान करना भी यहां से संभव होगा।
- खातों का केवाईसी खुद कर सकेंगे।
- शिकायत को डिजिटल रूप से दर्ज करना आसान होगा।
- अटल पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ।

ईपीएफओ बोर्ड ने पेंशन योजना से निकासी की अनुमति दी

ईपीएफओ ने छह महीने से भी कम समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति प्रदान कर दी है। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) सब्सक्राइबरों को छह महीने से कम सेवा बाकी रहने पर कर्मचारी भविष्य निधि खाते से जमा राशि निकालने की ही अनुमति देता है।

ईपीएफओ के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की संपन्न 232वीं बैठक में सरकार से अनुशंसा की गई कि ईपीएस-95 योजना में कुछ संशोधन कर सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके अंशदाताओं को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए।

श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक, सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा दी जाए। इसके

अलावा न्यासी मंडल ने 34 वर्षों से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को आनुपातिक पेंशन लाभ देने की भी अनुशंसा की है।

यूपी को लकड़ी आधारित उद्योग लगाने की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी का आदेश खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में नए लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दे दी। यूपी सरकार ने एक मार्च, 2019 को अधिसूचना जारी कर 3000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 80,000 से अधिक की रोजगार सृजन क्षमता के साथ इस उद्योग को स्थापित करने का फैसला लिया था। एनजीटी ने इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावना बढ़ेगी।

जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने एनजीटी के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने फैसले में कहा, राज्य के सतत विकास के लिए और लकड़ी की उपलब्धता के मद्देनजर लाइसेंस देने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, एक जिम्मेदार राज्य के रूप में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विधिवत ध्यान दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

यूपी सरकार के अनुसार, एनजीटी के फैसले में राज्य की चिंताओं के साथ, अधिसूचना को केंद्र सरकार के समर्थन की अनदेखी की गई है। सरकार ने फैसले को 'एकतरफा' दृष्टिकोण पर आधारित बताया था। एनजीटी ने अपने फैसले में एक मार्च, 2019 के नोटिस के अलावा उसके बाद जारी अस्थायी लाइसेंस को रद्द कर दिया था।

निर्देश...एक के बदले 10 पेड़ लगाने के नियम का सख्ती से पालन हो:

शीर्ष अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आम और जामुन सहित प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति देते समय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो।

आवेदकों को एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने और उन्हें पांच साल तक बनाए रखने के आदेश का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।

प्रदेश में कारोबार के लिए दोहरी लाइसेंस प्रणाली समाप्त

राज्य सरकार ने प्रदेश में कारोबार करने के लिए दोहरी लाइसेंस प्रणाली व्यवस्था समाप्त कर दी है। व्यापारियों को अब निकाय और श्रम विभाग से अलग-अलग लाइसेंस नहीं लेना होगा और न ही शुल्क देना होगा।

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग केंद्र सरकार द्वारा व्यापार सुधार कार्ययोजना के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। सचिव नगर विकास रंजन कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1559 और पालिका परिषद अधिनियम 1916 में शहरी क्षेत्रो में कारोबार के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था है। इसके लिए निकायों में पंजीकरण कराते हुए लाइसेंस शुल्क जमा करना पड़ता है। श्रम विभाग भी दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए शुल्क लेता है। दोनों स्थानों पर व्यापारियों को लाइसेंस शुल्क जमा करना पड़ता है। नई व्यवस्था में आवेदनकर्ता को निवेश मित्र पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in पर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रस्तुत होने के बाद ऑटोजेनरेटेड अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अलग से ट्रेड लाइसेंस की जरुरत नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश व्यापार एवं वाणिज्यिक अधिनियम 1962 के तहत पंजीकरण के आवेदन पत्र पर ट्रेड लाइसेंस की जरुरी शर्ते भी जोड़ दी जाएंगी। आवेदक से नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम के तहत यथावश्यक शर्तो के संबंध में स्वघोषणा ली जाएगी। उत्तर प्रदेश दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर इसे ही व्यापार के लिए वैध माना जाएगा।

नई व्यवस्था से कारोबार सुगमता से बढ़ेगा:

1. निकाय अभी मौजूदा समय 39 तरह के लाइसेंस जारी करते है।

2. श्रम विभाग के करीब 85 विभिन्न ट्रेड के लाइसेंस जारी करता है।

3. इन सभी लाइसेंस को एकीकृत करने से लोगो को राहत मिलेगी।

4. दोहरी लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त होने से शोषण भी रुकेगा।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

निजी औद्योगिक पार्क पर 50 करोड़ की सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट

उत्तर प्रदेश में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना पर 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी। निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में सौ फीसदी छूट के साथ पूंजीगत निवेश पर 25 फीसदी की सब्सिडी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई।

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने बताया कि नई नीति में निवेशकों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं व प्रोत्साहन की व्यवस्था है। उन्होंने बताया, प्रोत्साहन सब्सिडी के लिए तीन विकल्प दिए जाएंगे। पहले नंबर पर पूंजीगत सब्सिडी, दूसरे पर शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और तीसरे विकल्प के रूप में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन टॉपअप सब्सिडी है। निवेशकों को बुंदेलखंड व पूर्वांचल में भूमि खरीद पर स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। पश्चिमांचल व मध्यांचल में स्टांप ड्यूटी पर 75 फीसदी छूट दी जाएगी। गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में 50 फीसदी छूट दी जाएगी।

डॉरमेट्री व हॉस्टल में भी छूट:

निवेश के आधार पर 45 करोड़ रुपये की सीमा तक बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 20 एकड़ या उससे अधिक भूमि पर, मध्यांचल व पश्चिमांचल में 30 एकड़ और उससे अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क स्थापना पर 25 फीसदी पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

सौ एकड़ से अधिक के पार्क के लिए सब्सिडी 50 करोड़ रुपये होगी। निजी पार्क में आवास के लिए 25 करोड़ तक डॉरमेट्री व हॉस्टल पर 25 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। प्रस्तावित भूमि के 25 फीसदी के अधिग्रहण का लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस क्षेत्र में विकास के लिए अधिकार भी निहित होंगे।

एक्सप्रेसवे पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर : एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक और इंटीग्रेडेट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।

नोएडा-गाजियाबाद में सबसे कम सब्सिडी:

बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में निवेश पर सबसे ज्यादा, जबकि गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में सबसे कम सब्सिडी मिलेगी।

चार सेक्टर में बंटेंगे उद्यमी:

- श्रेणी न्यूनतम निवेश सीमा
- वृहद 50 से 200 करोड़
- मेगा 200 से 500 करोड़
- सुपर मेगा 500 से 3000 करोड़
- अल्ट्रा मेगा 3000 करोड़ से ज्यादा

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

30 हजार करोड़ से बनेंगे आठ डाटा सेंटर पार्क

डाटा सेंटर नीति-2021 में संशोधन को कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

प्रदेश में 30 हजार करोड़ के निवेश से 900 मेगावॉट क्षमता के आठ डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। योगी कैबिनेट ने फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इनवेस्टर समिट 2023 में निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से डाटा सेंटर नीति-2021 में संशोधन की मंजूरी दी है।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि डाटा सेंटर नीति 2021 में 6 डाटा सेंटर पार्क और एक डाटा सेंटर यूनिट के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इसमें करीब 20 हजार करोड़ का निवेश होगा और 636 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जीआईएस 2023 के मद्देनजर डाटा सेंटर नीति में संशोधन किया गया है। नीति में निवेश लक्ष्य को बढाकर 30 हजार करोड़ और डाटा सेंटर पार्क की संख्या को बढाकर आठ किया गया है।

उन्होंने बताया कि ऐसे मामले जिनमे नीति की अवधि लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होने की तिथि से 3 वर्ष में समाप्त हो रही है, उन्हें डाटा सेंटर पार्क में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए कम से कम तीन वर्ष का समय दिया जाएगा।

नीति में छह नए स्टार्टअप शामिल:

स्टार्टअप नीति में महिला नेतृत्वयुक्त स्टार्टअप, ग्रामीण प्रभाव, सर्कुलर इकोनॉमी, नवीनीकरण ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और व्यवसायीकरण स्टार्टअप को शामिल किया गया है। योगी कैबिनेट की हुई बैठक में यूपी स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि नीति में संशोधन के बाद अब उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य को तीन से बढाकर आठ किया गया है।

अगले साल मिलेगी 1980 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली:

सोनभद्र में स्थापित की जा रही ओबरा 'सी' और कानपुर की पनकी तापीय परियोजना से प्रदेश को अगले साल 1980 मेगावॉट बिजली और मिलने लगेगी। ओबरा 'सी' में 660-660 मेगावाट क्षमता की दो तथा पनकी में 660 मेगावाट क्षमता की एक इकाई लगाई जा रही है। कैबिनेट

बैठक में दोनों परियोजनाओं की लागत वृद्धि और इकाइयों के चालू होने संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।

दो डाटा सेंटर परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की मंजूरी:

कैबिनेट ने प्रदेश में दो डाटा सेंटर परियोजनाओं को निवेश पर प्रोत्साहन देने की मंजूरी दे दी है। नोएडा में स्थापित होने वाले दोनों डाटा सेंटर परियोजना में कुल 3820 करोड़ रूपये का निवेश होगा। इससे चार हजार लोगो को रोजगार मिलेगा।

एसजीएसटी में शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति का विकल्प मिलेगा:

पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी नहीं लेने पर एसजीएसटी की प्रति प्रतिशत प्रतिपूर्ति लेने का विकल्प मिलेगा। वृहद इंडस्ट्री को 6 वर्ष, मेगा 12, सुपर मेगा को 14 और अल्ट्रा मेगा को 16 वर्ष तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी।

नीति में प्रदेश में नवीन एवं उन्नत औद्योगिक परिदृश्य के सृजन के लिए औद्योगिक विकास एवं समस्त सेक्टरों सहित वैल्यू चेन, सप्लाई चेन के विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

फास्ट ट्रैक आधार पर होगा भूमि आवंटन:

सुपर मेगा और उससे अधिक की निवेश परियोजनाओं, प्रतिष्ठित मेगा परियोजनाओं के साथ राज्य या केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि आवंटन किया जाएगा। जहां भूमि नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाती है वहां पर आधार दर के 15 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करने पर किया जाएगा।

एक्सप्रेसवे किनारे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किए जाएंगे स्थापित:

एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक और इंटिग्रेडेट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। पीपीपी मोड पर मेडिकल डिवाइस पार्क, टेक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, आईटी पार्क स्थापित किए जाएंगे।

IMF executive director gives trillion-dollar economy tips to Uttar Pradesh government

International Monetary Fund (IMF) executive director (India) Krishnamurthy Subramanian gave key suggestions to make Uttar Pradesh a trillion-dollar economy by 2027. He also made a presentation in this regard here.

A boost could be given to the Uttar Pradesh economy by focusing on information technology, tourism, MSME (micro small and medium enterprises), agriculture, education and food processing sectors, he said.

The state government should aim at making Uttar Pradesh a data storage and processing hub, said Subramanian, India’s former chief economic advisor (CEA) and professor at Indian School of Business.

Priority should be given to the data and digital start-up sector in the new industrial policy of Uttar Pradesh.

India is going to be main global and tech market that there was a need for easy templates for start-ups for doing business in the state. Any enterprise should be recognised as a start-up and a tension free business environment should be provided.

The state government's move to provide financial support on interest would boost innovation and technology.

Chief secretary Durga Shankar Mishra said Uttar Pradesh would use its potential in bringing about multi-dimensional development of India.

Stating that the Uttar Pradesh aimed to make the state a trillion-dollar economy, he said 10 sectors have been identified to bring about all-round development. Short-term and long-term action plans have been worked out for every sector and their implementation is being consistently monitored. He also said faster development of infrastructure facilities would attract larger investment and create employment opportunities. There had been an improvement in connectivity in the state.

28 MSMEs approved for telecom PLI scheme: Govt

The Communications Ministry announced granting approval to 42 companies including 28 MSMEs for the production-linked incentive (PLI) scheme for telecom and networking products. This included 17 companies that applied for an additional incentive of 1 per cent under the design-led manufacturing criteria. The 42 companies have committed investments of Rs 4,115 crores which is likely to generate additional sales of Rs 2.45 lakh crores and more than 44,000 jobs over the scheme's period.

Till October 2021, 31 companies, comprising 16 MSMEs and 15 Non-MSMEs including 8 domestic and 7 global companies were given approval. The scheme was notified by the Department of Telecom in February last year with a financial outlay of Rs 12,195 crores. It was amended in June this year — to make manufacturing design-led with an additional incentive rate of 1 per cent over and above the existing incentives for products that are designed in India — after the government proposed to make design an intrinsic part of the scheme in the budget.

The ministry in a statement noted that the existing companies under the scheme for telecom and networking products were allowed to add more products and apply under the design-led scheme. The beneficiaries were also offered the benefit of shifting their 5-year PLI scheme period by one year as they could

choose between FY22 or FY23 as the first year of incentive. 22 companies had availed of this offer including 13 enterprises which applied as fresh applicants.

The scheme for telecom and networking products stipulated a Rs 10 crore minimum investment for MSMEs and Rs 100 crore for non-MSMEs to apply for the same. The eligibility was also subject to incremental sales of manufactured goods covered under the scheme's target segments over the base year of FY20.

Among the beneficiaries under the scheme were Alphion India, Candid Optronix, Coral Telecom, Design and Manufacturing Vista Electronics, Ehoome IOT, Elcom Innovations, Frog Cellsat, GDN Enterprises, GO IP Global Services, GX India, Kaynes International Design & Manufacturing, Samriddhi Automations, Skyquad Electronics and Appliances, Tianyin Worldtech India, Dixon Electro Appliances, Nokia Solutions and Networks India, Neolync Tele Communications, etc., according to the ministry.

श्रेणी बदलने पर भी एमएसएमई को मिलता रहेगा गैर कर लाभ

सरकार ने एमएसएमई को बड़ी राहत दी है। अब माइक्रो से स्माल और स्माल से मीडियम श्रेणी में अपग्रेड होने वाली यूनिट को पिछली श्रेणी का गैर लाभ तीन साल के लिए मिलता रहेगा। सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उद्यमियों को मुख्य रुप से भुगतान और खरीद सुरक्षा जैसे सरकारी लाभ मिलेंगे। अभी माइक्रो यूनिट स्माल बन जाती है तो उसे माइक्रो होने की वजह से मिलने वाले सारे लाभ ख़त्म हो जाते है। यही नियम स्माल से मीडियम के लिए लागू था। इसका नुक्सान यह था कि श्रेणी से जुड़े लाभ की वजह कई उद्यमी खुद को अपग्रेड नहीं करते थे।

अभी देश में छह करोड़ से अधिक एमएसएमई है। अभी एमएसएमई की परिभाषा टर्नओवर और मैन्युफैक्चरिंग के निवेश से तय होती है। मशीन में एक करोड़ तक का निवेश है और सालाना पांच करोड़ तक टर्नओवर है तो उसे माइक्रो यूनिट की श्रेणी में रखा जाएगा। 10 करोड़ तक का मशीन में निवेश व 50 करोड़ टर्नओवर वाली यूनिट स्माल श्रेणी में रखी जाती है।

निर्यात आधारित विकास से तरक्की करेगा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश महज भारत के 28 राज्यों में एक है, लेकिन यह करीब 23 करोड़ लोगों का घर है, और यदि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र होता, तो आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश होता। हाल के दिनों में यहां की शासन-व्यवस्था बेशक सुधरी है, पर आजादी से पहले और बाद के कुछ दशकों के कुप्रबंधन ने इस बड़ी और बढ़ती हुई आबादी को भारत के गरीबों में शुमार कर दिया है। यह प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूर्वी पड़ोसी राज्य बिहार को छोड़कर देश के तमाम सूबों में सबसे पीछे है। इस सूरतेहाल में उत्तर प्रदेश सरकार का 'मिशन वन ट्रिलियन' संभावनाओं को हकीकत में बदलने का एक अवसर है। राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना इस पहल का मकसद है, जो संभव भी है।

आखिर यह आर्थिक विकास होगा कैसे? पिछले 75 वर्षों में, कोई भी कम आय वाला देश निर्यात पर अपनी निर्भरता अधिकाधिक बढ़ाए बिना तेज तरक्की नहीं कर सका है। जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया से लेकर चीन तक की सफलता इसकी तस्दीक करती है। यहां तक कि पिछले तीन दशकों में भारत ने जो विकास किया है, उसमें भी निर्यात का बड़ा हाथ है। इससे संपन्न और बड़े बाजारों से पूंजी आती है। भारत के लिए यह इसलिए भी अहम है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आंकड़ों में हम आज भी मध्यम व उच्च आय वाले देशों की तुलना में गरीब हैं। अगर यहां की औसत आय ज्यादा होती, तो भारतीय उद्योग के लिए यह तुलनात्मक रूप से एक बड़ा बाजार होता। इतना ही नहीं, निर्यात इस बात का भी संकेतक है कि हमारा संस्थागत व औद्योगिक ढांचा वैश्विक बाजार में मुकाबला करने लायक है।

VK TYRE INDIA LIMITED

Manufacturers & Exporters of:

Automobile & Agriculture Tyres

Sybly Industrial Area, Pawanpuri,Muradnagar- 201206

Mob. No.: 9568129777, 7900200100

Email: info@vktyre.com

Website: www.vktyre.com

हम निर्यात प्रदर्शन और विकास को प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह देख सकते हैं। परीक्षाएं अपने आप में हमारी समझ को बेहतर नहीं बनातीं, बल्कि हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हमें अपनी क्षमता के अनुरूप विषयों का चुनाव करना पड़ता है, और उन पर मेहनत करनी होती है। ये परीक्षाएं इसी बात का पैमाना होती हैं कि हम अपनी तैयारी में सफल हुए अथवा नहीं। निर्यात प्रदर्शन भी यही बताता है कि क्या हमारी तैयारी (बुनियादी उत्पादों की पसंद और स्थानीय व्यापार में सुगमता लाने से लेकर उद्यमिता व बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता तक) पर्याप्त है, और हम अपने निर्यात लक्ष्यों में सफल रहे हैं?

इसमें उत्तर प्रदेश को भला कैसे सफलता मिल सकती है? यहां सबसे जरूरी उन क्षेत्रों का चयन है, जिसमें यह राज्य क्षमतावान है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की प्रमुख ताकत उसके लोग हैं। उसके पास एक बड़ा श्रम-बल है, और श्रम के लिहाज से वह उन देशों से प्रतिस्पद्र्धा कर सकता है, जहां श्रम-प्रधान उद्योग काफी सफल रहे हैं। समय के साथ समृद्ध होने वाले प्रत्येक निम्न-आय वाले देशों ने अपनी यात्रा की शुरुआत में इस ताकत का लाभ उठाया है। इसके लिए श्रम प्रधान उद्योगों के निवेश की राह आसान बनाई गई और बड़े-बड़े उद्योगों के विकास व संचालन के लिए नियामक, प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे सुधारे गए। मगर अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए नियामक वातावरण का अभाव रहा है। भारत में श्रम प्रधान उद्योगों से जुड़ी किसी भी बहस में फैक्टरी चलाने संबंधी मुश्किलों की चर्चा सामान्य है। लालफीताशाही से लेकर स्थानीय राजनीतिक मसले तक तमाम समस्याएं हमारे सामने हैं। यहां चीन व बांग्लादेश का उदाहरण ले सकते हैं, जहां फैक्टरी के लिए भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे तक पहुंच या ढुलाई आदि की क्लीयरेंस जैसी स्थितियां सुगम बनाई गईं। जाहिर है, आर्थिक व निर्यात संबंधी सफलता को प्राथमिकता बनाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को इन समस्याओं से पार पाने के लिए भी तत्परता दिखानी होगी।

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:

Sports Goods

A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009, Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

भूमिगत होंगे बिजली के तार, मेरठ समेत 14 जिलों में होगा काम, तार टूटने के हादसों पर लगेगी लगाम

अब सड़क पर लटकते तारों का जंजाल खत्म होगा। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत मेरठ समेत 14 जिलों के नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में अंडर ग्राउंड बिजली सप्लाई का सिस्टम विकसित किया जाएगा। प्रबंध निदेशक कार्यालय ने सभी जिलों से प्रस्ताव लेने का काम शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में घनी आबादी और संकरे रास्ते वाले क्षेत्रों की एल,एचटी व 33 केवी लाइनों को हटाकर भूमिगत बिजली लाइन डाली जाएगी। ऐसे क्षेत्रों का सर्वे करके प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर तक एक समग्र प्रस्ताव शासन को बजट निर्धारित करने के लिए भेजा जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में बजट के प्रविधान के बाद काम शुरू होगा।

सर्वे करके तैयार हो रहे प्रस्ताव:

लगभग 1500 किमी. भूमिगत लाइन डलने का अनुमान पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अंतर्गत मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, रामपुर,संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बिजनौर और अमरोहा आदि जिले आते हैं। पीवीवीएनएल के उच्च अधिकारियों ने जिलो से आ रहे प्रस्तावों से एक अनुमान निकाला है कि मेरठ समेत सभी 14 जिलों में लगभग 1500 किमी. भूमिगत लाइन डालनी पड़ेगी। एलटी, एचटी और 33 केवी लाइनों को भूमिगत करने पर प्रति किमी खर्च लगभग 70 लाख से एक करोड़ तक आता है। इस तरह लगभग 1500 करोड़ धनराशि की आवश्यता होगी।

B.R. Studio

Dealing In:

Destination Photography, Wedding Photography, Maternity Shoots, Cinematic Videography etc.

Sadar Dal Mandi, Meerut

Mob. No.: 9837085461, 9997025461

Email: agarwalkartikey@gmail.com

भूमिगत केबल डालने से ये होगा फायदा:

- आंधी-तूफान या बारिश में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी।
- बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा। लाइन लास में कमी आएगी।
- जर्जर तारों में शार्ट सर्किट से होने वाले हादसे नहीं होंगे।

तीन तरह के पड़ेंगे भूमिगत केबल:

लंबे समय तक टिकेंगे एलटी, एचटी और 33 केवी बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए तीन तरह की मोटाई के भूमिगत केबल डाले जाते हैं। 185 एमएम, 240 एमएम और 300 एमएम मोटाई के भूमिगत केबल डाले जाएंगे। इनकी लाइफ 15 से 20 साल तक होती है। जबकि खुले तार पांच से आठ साल में खराब हो जाते हैं।

कम हो जाएगा मेंटीनेंस खर्च:

ओवरहेड बिजली लाइनें आंधी तूफान, बारिश और भारी वाहनों की टक्कर से अधिक क्षतिग्रस्त होती हैं। जिससे ये लाइनें हमेशा मेंटीनेंस पर रहती हैं। इससे मेंटीनेंस खर्च अधिक होता है। जबकि अंडरग्राउंड बिजली लाइनों को केवल फाल्ट होने पर ही मेंटीनेंस करना पड़ता है। इससे इनका खर्च कभी-कभार होता है।

THE RUG REPUBLIC

Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS

(150m from Kirti Nagar Fire Station)

Noida: A-32, Sector 63

(Off Nh24, Opp. Indirapuram)

MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)

Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

सभी करदाताओं के लिए एक सामान आईटीआर फॉर्म लाने का प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय ने आईटीआर-7 फॉर्म को छोड़कर सभी करदाताओं के लिए एकसमान आयकर रिटर्न फॉर्म लाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली कमाई को भी अलग से दर्ज करने का प्रावधान होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि ट्रस्ट एवं गैर-लाभकारी संगठनों को छोड़कर बाकी सभी करदाता इस प्रस्तावित नए आईटीआर फॉर्म के जरिये अपना रिटर्न जमा कर सकते है। नए फॉर्म पर हितधारकों से 15 दिसंबर तक टिप्पणी मांगी गई है। बोर्ड ने कहा कि आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म आगे भी बने रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत करदाताओं के पास इस साझा फॉर्म के जरिये भी रिटर्न जमा करने का विकल्प होगा। सीबीडीटी ने कहा, नए फॉर्म का मकसद व्यक्तियों एवं गैर-कारोबारी करदाताओं के लिए रिटर्न जमा करने को सुगम बनाना व इसमें लगने वाला समय कम करना है।

नहीं रह जाएगा पुराने फॉर्म का विकल्प:

बोर्ड ने कहा, सुझावों के आधार पर तैयार इस फॉर्म को अधिसूचित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग इसके ऑनलाइन उपयोग की भी जानकारी देगा। नांगिया एंडरसन एलएलपी के साझेदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा, नया फॉर्म आने के बाद आईटीआर- 2, 3, 5 एवं 6 फॉर्म के जरिये रिटर्न भरने वालो के पास पुराने फॉर्म का विकल्प नहीं रह जाएगा।

SHIVANGI INTERNATIONAL

Dealing in:

Trading, Real Estate, Mining, Manufacturing,
Hospitality, Distribution & Marketing

A-216, 2nd Floor, Apex Meerut Mall, Delhi Road, Meerut
Tel. 91-121-2517723, Mobile: 91-9997041110
Email: shivangi2@gmail.com, info@shivangiinternational.com
Website: www.shivangiinternational.com

टैक्स नहीं दिया तो फिर बिक्री भी न दिखा पाएंगे

जीएसटीआर 1 रिटर्न में बिक्री के फर्जी बिलो को अपलोड कर टैक्स चोरी करने वालो पर एक नवंबर से लगाम कसने का आदेश हो गया है। यदि कारोबारी जीएसटीआर 1 रिटर्न फ़ाइल करता है लेकिन 3B रिटर्न के मुताबिक़ टैक्स जमा नहीं करता है तो अगले माह वह बिक्री के बिल जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं कर सकेगा। इससे बिक्री के फर्जी बिलो से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को भी समायोजित नहीं किया जा सकेगा। अभी कुछ दिन पहले ही राज्य वस्तु एवं सेवाकर ने प्रदेश में 206 ऐसी फर्म चिन्हित कर कार्यवाई शुरू की है जो फर्जी बिल जारी करती है। इससे पहले भी 400 फर्म चिन्हित की जा चुकी है। जीएसटी में व्यवस्था है कि कारोबारी पूरे माह व्यापार के बाद बिलो को अगले माह की 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 में अपलोड करते है।

नवंबर से अहम बदलाव

जीएसटी के लिए एचएसएन कोड जरुरी:

5 करोड़ रूपये से कम जीएसटी वाले कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न में चार अंको का कोड देना जरुरी होगा। अभी तक यह अनिवार्य नहीं था।

दिल्ली में सब्सिडी का नया नियम:

दिल्ली में बिजली सब्सिडी का एक नया नियम लागू हो रहा है। इसके मुताबिक जिन लोगो ने सब्सिडी के लिए पंजीकरण नहीं कराया उन्हें ये सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी।

OMYSHA ENTERPRISES

Dealing in:

Roof Top Solar Power Plant, Solar Water Heater, Air Purifier, Waste-Water Treatment Plant etc.

Head Office: C-1/5, Jagrati Vihar,
Near EPF Office, Meerut

जनहित गारंटी में नौ विभागों की 25 ओर सेवाएं शामिल की गई

रोजगार पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने में मुश्किल आए या जन्म, मृत्यु, जाति, आय आदि प्रमाण गलत बन जाए। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसमें होने वाली खामियों को दुरुस्त कराने में अब दौड़भाग नहीं करनी पड़ेगी। यह काम अब हर हाल में 15 कार्यदिवस में अधिकारियों को करने होंगे।

सरकारी महकमों में रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान तय समय में नहीं होगा तो ऊपर के स्तर के अधिकारी के यहां अपील करने की व्यवस्था नई सेवाओं के लिए रखी गई है। असल में विभिन्न सेवाओं से जुड़े प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उससे जुड़ी मुश्किलों को खत्म करने व जनता की दौड़भाग को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने इस पर खास फोकस किया है। इस संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की पहल पर 9 विभागों की 25 सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं में जोड़ा गया है। अभी विभिन्न विभागों द्वारा 379 सेवाएं दी जा रही हैं। तय समय में काम न होने पर जनता अपीलीय अधिकारी के पास जा सकती है।

यूपी में निवेश करने वालों को भी फायदा:

निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल पर निवेशक से प्राप्त विवरण के सात दिनों के भीतर सभी सवालों का जवाब देना होगा। 3 से पांच एकड़ से अधिक के औद्योगिक भवन मानचित्र का अनुमोदन 15 कार्यदिवस में होगा। इसी तरह किसी विकास परियोजना में कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र 30 कार्यदिवस में जारी होगा।

इन सेवाओं का होगा तय समय में शिकायत निवारण:

जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, जिला अस्पताल, रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण का नवीनीकरण होने, नगर निगमों में पानी का कनेक्शन (झांसी व चित्रकूट मंडल को छोड़कर),के बाद आने वाली मुश्किलों का दूर कराया जाएगा। इन सब सेवाओं के लिए तय समय में समाधान न होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी व द्वितीय

अपीलीय अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं। इनके लिए भी तय समय में अपील का समाधान देना होगा।

शिकायत निवारण वाली नई 25 सेवाएं:

विभाग	सेवाएं
नगर विकास	07
पंचायती राज	02
राजस्व	03
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन	02
ऊर्जा	01
नमामि गंगे	01
खाद्य एवं रसद	02
चिकित्सा शिक्षा	03
परिवहन	01
श्रम एवं रोजगार	01
आवास	02

भू-उपयोग के बदलाव की प्रक्रिया हो आसान: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित नई टाउनशिप में भूमि अधिग्रहण और भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया को और सरल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निमभन और मध्यम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्टों के लिए विशेष प्रावधान करने को कहा है। शहरों को नियोजित और स्थिर विकास को ध्यान में रखते हुए आवासीय व अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता पर भी फोकस करने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साढ़े पांच वर्षों में प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। इसलिए भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में निम्न एवं मध्यम आय वर्गों के लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग सबसे अधिक है। इसकी पूर्ति निजी पूंजी निवेश के माध्यम से ही की जा सकती है। इसलिए इस

क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की जरूरतों के अनुसार व्यावहारिक नई टाउनशिप नीति तैयार करें।

नई टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ तक:

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय योजनाओं के लिए भूमि पहली आवश्यकता है। इसलिए निवेशकों को भूमि की उपलब्धता आसानी से हो सके, इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को और सरल किया जाए। उन्होंने कम भूमि अधिक आवास बनाने के लिए 'वर्टिकल डेवलपमेंट' (हाईराइज बिल्डिंग) को प्राथमिकता देने, टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफ ल 25 एकड़ तक करने और 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफ ल की परियोजना में लीड करने वाली कंपनी की रियल एस्टेट में अनुभव की अनिवार्यता का प्रावधान करने के भी निर्देश दिए हैं।

निर्यात प्रोत्साहन के मानदंड अधिसूचित

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने निर्यातकों को विदेश व्यापार नीति के तहत प्रोत्साहन का लाभ देने के लिए मानदंडों को अधिसूचित कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत डीजीएफटी ने पहले ही भारतीय रूपये में निर्यात और आयात के चालान या इनवॉइस, भुगतान और निपटान की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य घरेलु मुद्रा में व्यापार को सुगम बनाना और बढ़ावा देना है। आरबीआई ने घरेलु मुद्रा में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रूचि को देखते हुए जुलाई में बैंको को भारतीय रूपये में निर्यात और आयात लेनदेन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए कहा था।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (महंगाई भत्ता 01-10-2022 से 31-03-2022)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या–194/36 –3–2014–07 (न्यू0वे0)/4 दिनांकः 28–1–2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या–850/36–03 –2019 –931(न्यू0वे0)/06 दिनांकः: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2022 से जून 2022 के औसत अंक 366 पर दिनांकः 1–10–2022 से 31–3–2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय होगाः–

दृष्टान्त–रूपये 5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–366 पर दिनांकः 1–10–2022 से दिनांकः 31–3–2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(366–216)

..... .X5750= रू0–3993/–प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें ।

कमॉक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांकः1.4.2022 से 30.9.2022 तक (कुल मजदूरी रू0 में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में	दिनांकः1.10.2022 से 31.3.2023 तक	
				दिनांकः1.10.2022 से 31.3.2023 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	9530	3993	9743	374.73
2	अर्धकुशल	6325	10483	4392	10717	412.19
3	कुशल	7085	11743	4920	12005	461.73

नियोजन का नाम

1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
3 मिष्ठान उद्योग।
4 वासित पेयो(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5 फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6 परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
7 पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8 डेरी और मिल्क डेरी।
9 सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10 बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11 उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है।
12 प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13 डलाई घर।
14 धातु उद्योग।
15 टिन प्लेट शॉपिग और टिन प्रिंटिंग।
16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17 चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
18 चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19 होजरी सकर्म।
20 निजी पुस्तकालय।
21 काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22 प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
23 तम्बाकू विनिर्माण।
24 धर्मशाला।
25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26 दुकानों में
27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29 तेल मिल।
30 लोक मीटर परिवहन।
31 यॉत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35 चिकन के कार्य।
36 दियासलाई उद्योग।

20/9/2022

37 आइसकैण्डी/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39 बर्फ विनिर्माणशाला।
40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41 लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42 जिल्दसाजी।
43 कोल्ड स्टोरेज।
44 पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45 निजी मुद्रणालय।
46 सिनेमा उद्योग।
47 कपड़ा छपाई।
48 सिलाई उद्योग।
49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50 क्लब
51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
54 खाण्डसारी।
55 हथकरघा उद्योग।
56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59 ईंट भट्ठा उद्योग।
60 ताला उद्योग के नियोजन में।
61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्व किंया–कलाप सम्मिलित नही है।
64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67 टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पों एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70 विकय संवर्धन(विकय संवर्धन(सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71 हेयर कंटिग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरूष एवं महिलायें) में नियोजन।
72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73 काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या958-65 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक:30/9/2022

प्रतिलिपि

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉंगे जाने पर उपलब्ध करांए।
2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

30/9/2022
(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

XXXXXXXXXXX